कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

संख्या - 436/ए.प./प्लान/जल/2024-25 दिनांक- 29 जून, 2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, जौनपुर में उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम 1916 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग एवदुआरा ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के ही-स्लजिंग परिहरण एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा आनुसंगिक मामले के लिए निम्नलिखित उपनियमावली (विनिमय) बनाती है। नगरवासियो से अपील है निम्न उपनियमावली (विनिमय) पर आपत्ति एवं सुझाव 30 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद, जौनपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की उपविधि

अधिसूचना

दिनांक - 06/03/2024

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिषद **जौनपुर** द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोकवेल) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट - 2013
(च) आईएस कोड 2470 भाग। और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड) - सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एव सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संसाधन जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008; तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि **नगर पालिका परिषद जौनपुर** की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय **नगर पालिका परिषद** जौनपुर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय - I
प्रारंभिक

1. संक्षेप - शीर्षक, विस्तार और आरंभ

(i). इन उपविधियों को **नगर पालिका परिषद जौनपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 20xx' कहा जा सकता है।**

(ii). ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से **नगर पालिका परिषद जौनपुर** क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2. परिभाषा

"एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/ पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

"अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, ओर/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते है जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

"डिसलिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

"एफ्लुएंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

"फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

"ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

"होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा;

"इनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

"लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/ व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

"सेनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप निपमानुसार किया गया हो;

"सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवापवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"शेडयूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2 - 3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज पानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

"यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंकर" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मी" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय - II
अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

i. यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

ii. अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii. यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

iv. वे परिपत्तियों जो प्रतिदिन 2000 किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी / फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय - III
ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्त्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे:

i. उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

i. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद जौनपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii. ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii. परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv. परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

v. परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद जौनपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

vi. नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद जौनपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद जौनपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार / संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

vii. नगर पालिका परिषद जौनपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग / सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय IV
फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

i. नगर पालिका परिषद जौनपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii. नगर पालिका परिषद जौनपुर अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

iii. जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

iv. नगर पालिका परिषद जौनपुर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज [illegible] के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

v. इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि [illegible] जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क [illegible] लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii. आवेदक को उचित सक्षमन/वैक्यूम ओर डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

iii. नगर पालिका परिषद जौनपुर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।

iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद जौनपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

v. आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद जौनपुर या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

i. ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 2500/-

ii. पंजीकरण की वैधता: पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii. लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: रु. 1500/-

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय V
फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

i. भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद जौनपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii. मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

i. समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

ii. शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा "शेडयूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

iii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही के द्वारा समय-समय पर अ[illegible] अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अ[illegible] ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धा[illegible]

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेट[illegible] प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

ii. आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

ii. डीसलजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद **जौनपुर** द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

v. ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद **जौनपुर** वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

v. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "**septic tank waste**" (अंग्रेजी में) और "**मलकुंड अपशिष्ट**" (हिंदी में) लिखा होगा।

vi. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार (नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी) और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीसलजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज से जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा - उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

i. लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद **जौनपुर** द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

ii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

iii. होस्ट यूटलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूटलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

i. निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूटलबी बन जाएगा।

ii. नगर पालिका परिषद **जौनपुर** होस्ट यूटलबी से जुड़े यूटलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

iii. नगर पालिका परिषद **जौनपुर** वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

iv. संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद **जौनपुर** द्वारा किया जाएगा।

v. होस्ट यूटलबी अन्य क्लस्टर यूटलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

vi. एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूटलबी" को लगे कि क्लस्टर यूटलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूटलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्त्तव्य

i. निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यूटलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूटलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूटलबी का सदस्य बनेगा।

ii. निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) **ऑपरेटरों** को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

iii. यदि निकाय होस्ट यूटलबी के क्लस्टर यूटलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

iv. नगर पालिका परिषद **जौनपुर** विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

v. होस्ट यूटलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

vi. यदि "होस्ट यूटलबी" की क्षमता क्लस्टर यूटलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद जौनपुर को एक नए "होस्ट यूटलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें फिटल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय VI
फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

i. नगर पालिका परिषद जौनपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद जौनपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

ii. उपचार सुविधा के अभाव में नगर पालिका परिषद जौनपुर आस पास के होस्ट यूटलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

iii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद जौनपुर के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूटलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

नगर पालिका परिषद जौनपुर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूटलबी)

ii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूटलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूटलबी का हिस्सा है)

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

(निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूटलबी)) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर (निकाय (या होस्ट यूटलबी लागू हो)) द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय VII
प्रशासन और प्रवर्तन

34. प्रशासन और प्रवर्तन

i. इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

ii. नगर पालिका परिषद जौनपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

iii. नगर पालिका परिषद जौनपुर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

iv. नगर पालिका परिषद जौनपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए इमर्जेन्सी रिसपोंस सेंटिनेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35. जांच के लिए विशेष शक्ति

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद जौनपुर के पास किसी भी समय किसी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

i. इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

ii. किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति - (क) इन उपविधियों के किसी भी प्राव का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित करता है।

iii. इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दं किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एक इस निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।

iv. जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, सम समय पर नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

v. संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुक चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी के इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद जौनपुर के अधिकार वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने अधिकार होगा।

40. संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनु दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41. डीसलजर के लिए सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निका (डीसलजिंग) ऑपरेटरोंके लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया सकता है।

परिशिष्ट-1
(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लि यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुस प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रभा और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकार: लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्वेधाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटी गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: प्रति बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में है:

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन):** निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 सी/मिनट की पैं वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन: डीएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भंडारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भं =0.073 m3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- प्रति बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

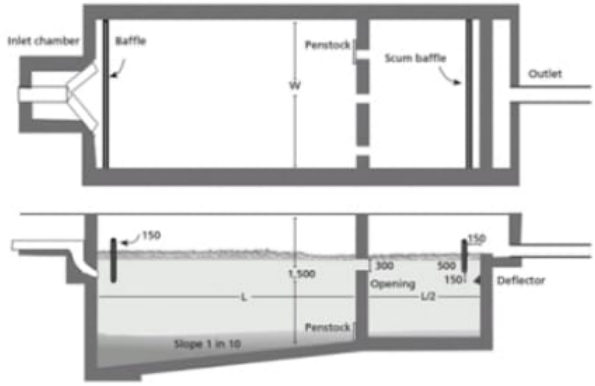

All measurements in millimetres (mm)
Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering, CPHEEO, 2012

परिशिष्ट-2
(खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद जौनपुर **में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)**

क्र सं	श्रेणी (प्रकार)	रु० में शुल्क की सीमा प्रत्ये ट्रिप	तृतीय ट्रिप/रात
01	**चालक मशीन (3000/4000 लीटर)**		
	क. आवासीय भवन निजी/सरकारी	2500/-	
	ख. होटलों/गेस्ट प्रतिष्ठानों के लिए	3000/-	

स्रोत: सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।
नोट: 1- उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फ़ीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है
2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 से 4000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, तारपर, कंठोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3
(खंड: 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण
कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

i. शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
ii. शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट
iii. सर्जिकल फेस मास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है
iv. सेफ्टी टॉर्च
v. भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
vi. संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स
vii. टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है
viii. दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है
ix. आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किटQ
x. गैस मॉनीटर
xi. हेड लैंप
xii. गाइड पाइप सेट
xiii. सेफ्टी ट्राइपॉड सेट
xiv. वेडर बूट
xv. एयर कंप्रेसर और ब्लोअर
xvi. मॉडयूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम
xvii. रेनकोट

परिशिष्ट-4
(खंड 6 (iii) और 8 देखें)
नगर निगम/नगर पालिका परिषद .....
Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म 1: निकाय नगर पालिका परिषद जौनपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र
1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): _____
2. पता:
_____
3. पंजीकृत कार्यालय का पता: _____
4. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय)_____ (मो.):_____
ईमेल आईडी:_____
6.

12						
स ० न	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद_____
(रसीद संख्या)
8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां /नहीं):

दस्तावेज़ के प्रकार	हां /नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां /नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां /नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाणपत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण पत्र	
प्रदूषण प्रमाणपत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या:
मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी **रहूँगा।**

दिनांक:..... **आवेदक के हस्ताक्षर**

नियम और शर्तें
1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगाऔर ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट कियाजाएगाजिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखाहोगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में **06** दिनों पर **09:00 am** से **06:00 pm** तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5
खंड 6 (v) और 8 देखें
लाइसेंस प्रारूप
नगर निगम/नगर पालिका परिषद

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना
नगर पालिका परिषद जौनपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:
1. आवेदक का नाम: (श्री / सुश्री): _____
2. पत्राचार का पता: _____
_____
3. निकाय **(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)** का नाम) में फीकल स्लज /सेप्टेज **प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए** लाइसेंस संख्या:_____
4. **मान्यता** _____ से _____ तक
5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर: (i) _____ (ii) _____
(iii) _____ (iv) _____
लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें
1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगाऔर ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट कियाजाएगाजिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखाहोगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09:00 am से 06:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6
(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)
फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड
फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड
नगर पालिका परिषद जौनपुर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए
दिनांक:.....समय: .....
I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण
1.नाम: .....
2.पता:.....
.....
(क) वार्ड संख्या: .....
(क) टेलीफोन नं.: .....
II. रोकथाम
1. निर्माण का वर्ष _____
2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY):_____
3. आउटलेट मौजूद (हां/नहीं): _____
4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है: _____
5. रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पक्कीबध	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार:नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें
7.. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III. कीचड़ साफ करना
1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) .....
2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय: .....
3. ट्रिप की लंबाई (किमी): .....
4. आने-जाने में समय: .....
IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण
ऑपरेटर का नाम: .....
ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर: .....

ड्यूटी पर टैंक सफ़ाई स्टाफ़ के हस्ताक्षर **उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर**

परिशिष्ट-7
(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)
होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप
फॉर्म 4: "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।
होस्ट निकायके उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (**नगर पालिका परिषद जौनपुर**) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्मफीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सक्लाईजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकायका नाम) की प्रशासनिक सीमा के भीतर घरों, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्ल[illegible]ित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (**नगर पालिका परिषद जौनपुर**) के प्रशासन [illegible]समझौता।
प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (**नगर पालिका परिषद जौनपुर**)
द्वितीय पक्ष "एक्सक्लाइजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकायका नाम)

उपबंधः

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)
2. "प्रथम पक्ष " अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. ..... देने के लिए सहमत है।
4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।
6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8
जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (₹₹ में)	जुर्माना (₹ या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100-150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100-150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50-100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1000-1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1000-1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5000-10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27 ,28, 33	5000-10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1000-1500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000-10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000-10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1500-2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोटः जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में फूलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9
अपील हेतु ज्ञापन
(खंड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास ..... (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नामः .....
2. आवेदक का पताः .....
.....
3. नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई
नामः .....पदः.....
4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गईः .....
5. अपील दायर करने की तारीखः .....
6. सूचना विवरण
क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)
.....
.....ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)
.....

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः .....तिथिः.....
अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेखः
1.....
2.....
.....यहाँ फाड़ें.....
पावती
संख्या.....तिथिः .....
अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन.....
स्थानः.....तिथिः.....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

(नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

पत्रांक - 436/न.प./प्लास-जल/2024-25 दिनांक- 29 जून, 2024

दुर्घटना पीड़ितों के जख्मों पर मरहम का काम करता है ट्रिब्यूनल: जज

विदाई

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जज को दी गयी विदाई

तेजस टूडे ब्यूरो
हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट

जौनपुर। ट्रिब्यूनल एक क्लीनिक है जिसमें पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाकर उनका उपचार किया जाता है। जज एक माध्यम है जो दुर्घटना में उजड़े परिवारों (याचीगण) को दाता बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति दिलवाने का कार्य करता है। उक्त बातें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने अपने विदाई समारोह के दौरान कही। साथ ही कहा कि दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं व जज का दायित्व है कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति मिले जिससे परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उजड़े परिवारों में बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा दीक्षा व अन्य आवश्यक कार्य हो सके। बीते 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम के विदाई समारोह का आयोजन मतापुर स्थित अधिकरण में एसपी सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता व हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट के संचालन में किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात अधिवक्ताओं ने ट्रिब्यूनल जज का माल्यार्पण करके स्वागत करते हुये अपना विचार व्यक्त किया। अधिवक्ता प्रदीप निषाद ने विदाई गीत गाया। परिवार न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप कुमार सहित अधिवक्ताओं ने उनके उत्तम व्यक्तित्व व कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत लगन और मेहनत से 2 वर्ष तक कार्य किया जिससे मुकदमों की पेंडेंसी नहीं बढ़ने पाई। लोक अदालतों में अधिकतम मुकदमों के निस्तारण का रिकॉर्ड बना। अधिवक्ताओं व कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिह्न, अंगवस्त्रम, गीता, गदाछ की माला इत्यादि भेंट किया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष समर बहादुर यादव, एसपी सिंह, सूर्यमणि पाण्डेय, हिमांशु श्रीवास्तव, खेंद्र सिन्हा, प्रवीण मोहन श्रीवास्तव, राना प्रताप सिंह, घनश्याम ओझा, रवीन्द्र विक्रम सिंह, जय प्रकाश सिंह, सुभाष मिश्र, सन्देव सिंह, बृजेश निषाद, नितेश निषाद, अवधेश यादव, अरविंद अग्रहरि, संतोष सोनकर, जेसी पांडेय सहित तमाम अधिवक्ता व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पत्रकार पर जानलेवा हमला, साथी आक्रोशित

हमला

तेजस टूडे ब्यूरो, बीके सिंह
सिरकोनी, जौनपुर। जफराबाद बाजार में बीती रात करीब 11 बजे पत्रकार अखिलेश सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर जहां पत्रकारों में आक्रोश भड़क उठा है, वहीं मामले की शिकायत पर पुलिसिया छानबीन शुरू हो गयी। पीड़ित के अनुसार वह अपने वाहन से घर जा रहे थे कि रास्ते में नासही वार्ड में नकाबपोश दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 हमलावरों ने पत्रकार अखिलेश सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। उनके हाथ में हथियार था। गाड़ी पर पथराव कर दिया जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी लेकर मौके से तेज गति से आगे निकल गये जिसके बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गये।

पीड़ित पत्रकार ने जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि डा. सरफराज खान पर आरोप लगाते हुये कहा कि उनके इशारे पर जानलेवा हमला हुआ है। शनिवार की सुबह दर्जनों की संख्या में पत्रकार थाने पर पहुंचकर थानाध्यक्ष से मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया। वहीं पूछे जाने पर अध्यक्ष प्रतिनिधि डा. सरफराज खान ने बताया कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। फिलहाल यह जांच का विषय है लेकिन पुलिस जांच कर रही है।

इस बाबत चौकी प्रभारी जफराबाद ईश्वर चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि पत्रकार द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

वर्ष 2024 के मेधावी छात्र-छात्राओं को शासन ने किया सम्मानित

सम्मानित

तेजस टूडे ब्यूरो

जौनपुर। मुख्यमंत्री द्वारा उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की वर्ष 2024 में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार शनिवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में हाईस्कूल में जनपद स्तर पर सम्मानित होने वाले 2 राज्यस्तरीय मेधावी विद्यार्थियों, इण्टरमीडिएट जनपद स्तर पर सम्मानित होने वाले 5 राज्यस्तरीय मेधावी विद्यार्थियों, हाईस्कूल जनपद स्तर पर सम्मानित होने वाले 9 जनपद स्तरीय मेधावी विद्यार्थियों, इण्टरमीडिएट जनपद स्तर पर सम्मानित होने वाले 5 जनपद स्तरीय मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह में कुल 21 मेधावी विद्यार्थियों में से 16 उपस्थित हुए। 5 विद्यार्थी जनपद के बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये। बेसिक शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से प्रति बच्चा 1200 रू० 2.50 लाख बच्चों के खातों में भेजा गया। बेसिक शिक्षा विभाग को किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18008893277 है एवं कायाकल्प एवं निपुण अभियान की प्रशंसा की गयी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रजेश सिंह विधान परिषद सदस्य, जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक नाथ तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ० गोरखनाथ पटेल, जिला समन्वयक, आर०एम०एस०ए० डॉ० राजन सिंह, वरिष्ठ सहायक (परीक्षा प्रभारी) रुद्र प्रताप पाल, एकाउन्टेन्ट सभाजीत सिंह एवं समस्त कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक स्टाफ उपस्थित रहे।

जौनपुर मण्डल को मिला उत्तर प्रदेश में आधार राजस्व में प्रथम स्थान

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने डाक अधीक्षक परमानन्द को किया सम्मानित

सम्मानित

तेजस टूडे ब्यूरो, अवधेश मौर्य

जौनपुर। डाक विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश परिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्किल एक्सिलेंस अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया। इसमें वाराणसी परिक्षेत्र के 13 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बा. सोत्य कुमार ने वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव की उपस्थिति में सम्मानित किया। इस अवसर पर उ.प्र. के सभी परिक्षेत्रों के पोस्टमास्टर जनरल और निदेशक डाक सेवाएँ उपस्थित रहे। इस मौके पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बा. सोत्य कुमार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरे उत्तर प्रदेश में आधार राजस्व में प्रथम स्थान हेतु जौनपुर मण्डल के अधीक्षक डाकघर परमानंद कुमार को सर्किल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में सम्मानित किया। वहीं बचत खाता राजस्व एवं सुकन्या समृद्धि खाता में प्रथम स्थान हेतु वाराणसी पश्चिम मण्डल के अधीक्षक डाकघर वि[illegible] डाक वितरण में द्वितीय [illegible] हेतु बलिया मण्डल के [illegible] हेमंत कुमार को द्वितीय स्[illegible] हेतु सम्मानित किया गया।

इसके अलावा अन्य [illegible] पोस्ट डाक निरीक्षक संवर्ग में डा[illegible] निरीक्षक चंदौली जय मंगल पांडेय को द्वितीय स्थान, पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक संवर्ग में पोस्टमास्[illegible] स्थान, उ[illegible] डेवलपमेंट [illegible] पांडेय, वाराणसी [illegible] स्थान और दिनेश कुमार, गाजीपुर [illegible] द्वितीय स्थान, डायरेक्ट [illegible] यादव को तृतीय [illegible] संवर्ग में राम [illegible] स्थान एवं [illegible] पूर्वी मंडल [illegible] स्थान प्राप्त [illegible] किया गया। [illegible] सहायक डाक [illegible] पाल, क्षेत्रीय [illegible], वाराणसी के जांच निरीक्षक दिलीप पांडेय को भी उत्कृष्ट कार्यों हेतु हेतु सम्मानित किया गया।